न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा, जिलाहनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी :– श्री ओ.पी चन्देलिया आर.ए.एस

मि0न0 – 199/2023

अनवान : –

1. नोरंगलाल गोस्वामी पुत्र नानुराम गोस्वामी निवासी सरदारपुरा तहसील भादरा।
2. कालुराम पुत्र रामकुमार निवासी सरदारपुराबास भादरा त0 भादरा।
3. मुन्शीराम पुरी पुत्र रामकुमार पुरी निवासी सरदारपुराबास भादरा त0 भादरा।

:–वादीगण

बनाम

1. फुसाराम पुत्र विजयराम जाति जाट निवासी सरदारपुराबास त0 भादरा। –डीलीट
   निर्मला पत्नी फुसाराम जाति जाट निवासी नि0 सरदारपुराबास त0 भादरा।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार भादरा।

प्रतिवादीगण

दावा बाबत खाता विभाजन अन्तर्गत धारा
53 राजस्थान कास्तकारी अधिनियम

उपस्थिति :– श्री सुरेन्द्र मील वादीगण
श्री विरेन्द्र जाखड़ **प्रतिवादी**

निर्णय दिनांकः

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा चक 9 बीएचडी के खाता सं0 133/137 के मु0न0 59 के किला न0 16,17,25 प्रत्येक की 0.253है0 नहरी मु0न0 60 के किला न0 20/1 की 0.2400 नहरी, किला न0 20/2 की 0.013है0 गै0मु0 रास्ता किला न0 21/1 की 0.240है0 किला न0 21/2 की 0.013है0 गै0मु0 रास्ता की कुल 1.265है0 जिसमें 1.239है0 नहरी एवं 0.026है0 गै0मु0 रास्ता की संयुक्त खातेदारी राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। वाद भूमि में नोरंगलाल गोस्वामी का 1/5 हिस्सा वादी कालुराम का 1/5 हिस्सा वादी मुंशीराम पुरी का 1/10 हिस्सा एवं प्रतिवादीया निर्मला का 1/2 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

वाद भूमि का काफी अर्सा पहले वाहमी बंटवारा हो गया था, जिसमें पक्षकारान के द्वारा अपने–अपने हिस्सा में आई भूमि को अलग–अलग काश्त करना शुरू कर दिया तथा उनका अलग से खेत व सींव डोल बने हुये है। राजस्व रिकॉर्ड में कुल भूमि मुश्तर्का खातेदारी दर्ज होने से माल, लगान आदि को लेकर विवाद बना रहता है। इसलिये वादी भूमि का खाता तकसीम अलग करवाना चाहता है, यह ही बिनाय मुखास्मत है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामिल होने के उपरान्त वादीगण एवं प्रतिवादीया ने दावा की संभी संख्याओं को स्वीकार करते हुए राजीनामा पेश किया जो शामिल मिसल है ।

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash Chandeliya
Date: 2024.06.24 17:46:29 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
(जिला हनुमानगढ़)

Scanned with OKEN Scanner

बहस वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादीगण ने निवेदन किया कि पक्षकारान के हिस्सा अनुसार मुताबिक राजीनामा सहमती के विवादित भूमि का खाता व लगान अलग से कायम किया जावें, जिस पर वकील प्रतिवादी ने सहमती प्रकट की।

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। प्रस्तुत प्रकरण में वादीगण ने रोही मौजा चक 9 बीएचडी के खाता सं0 133/137 के मु0न0 59 के किला न0 16,17,25 प्रत्येक की 0.253है0 नहरी मु0न0 60 के किला न0 20/1 की 0.2400 नहरी, किला न0 20/2 की 0.013है0 गै0मु0 रास्ता किला न0 21/1 की 0.240है0 किला न0 21/2 की 0.013है0 गै0मु0 रास्ता की कुल 1.265है0 जिसमें 1.239है0 नहरी एवं 0.026है0 गै0मु0 रास्ता की संयुक्त खातेदारी राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। वाद भूमि में नोरंगलाल गोस्वामी का 1/5 हिस्सा वादी कालुराम का 1/5 हिस्सा वादी मुंशीराम पुरी का 1/10 हिस्सा एवं प्रतिवादीया निर्मला का 1/2 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है में खाता विभाजन अलग–अलग करवाने हेतु निवेदन किया है। अतः वाद वादीगण मुताबिक राजीनामा डीक्री किया जाकर पक्षकारान के हिस्सा अनुसार निम्नानुसार खाता व लगान अलग से कायम किया जाता है–

वादीगण सं0 1 नोरंगलाल गोस्वामी 2/5 हिस्सा, वादीगण सं0 2 कालुराम पुत्र रामकुमार 2/5 हिस्सा वादीगण सं0 3 मुंशीराम पुरी 1/5 हिस्सा :– चक 9 बीएचडी के खाता सं0 133/137 के मु0न0 59 के किला न0 25 की 0.1265है0 नहरी दक्षिणी तरफ, मु0न0 60 के किला न0 20/1 की 0.2400 नहरी, किला न0 20/2 की 0.013है0 गै0मु0 रास्ता किला न0 21/1 की 0.240है0 किला न0 21/2 की 0.013है0 गै0मु0 रास्ता कुल 0.6065है0 नहरी एवं 0.026है0 गै0मु0 रास्ता।

प्रतिवादीया निर्मला पत्नी फुसाराम :– चक 9 बीएचडी के खाता सं0 133/137 [illegible] मु0 [illegible] किला न0 16 की 0.253है0 नहरी किला न0 17 की 0.253है0 नहरी किला [illegible] 1265है0 नहरी उतरी तरफ। कुल 0.6325है0 नहरी।

उपरोक्तानुसार पक्षकारान का खाता व लगान अलग से कायम करते हुए राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जाकर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किया जावें। जमाबंदी में [illegible] गै0मु0 [illegible] खाला को यथावत् रखा जावें। यदि पक्षकारान का हिस्सा किसी बैंक के रहन है तो रहन को सबंधित पक्षकारान के हिस्सा पर स्थानान्तरण करते हुए राजस्व रिकार्ड में उपरोक्तानुसार अमल दरामद किया जावे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना–अपना वहन करे। पर्चा डीक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 21.06.24 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

21/06/24
(ओ.पी. चन्देलिया)
R.A.S
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा जिला हनुमानगढ़

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash Chandeliya
Date: 2024.06.24 13:46:29 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

डिक्री

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा, जिलाहनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी :– श्री ओ.पी. चन्देलिया आर.ए.एस

मि0न0 – 199/2023

अनवान : –

1. नोरंगलाल गोस्वामी पुत्र नानुराम गोस्वामी निवासी सरदारपुरा तहसील भादरा।
2. कालुराम पुत्र रामकुमार निवासी सरदारपुराबास भादरा त0 भादरा।
3. मुन्शीराम पुरी पुत्र रामकुमार पुरी निवासी सरदारपुराबास भादरा त0 भादरा।

:–वादीगण

बनाम

1. फुसाराम पुत्र विजयराम जाति जाट निवासी सरदारपुराबास त0 भादरा। –डीलीट
   निर्मला पत्नी फुसाराम जाति जाट निवासी नि0 सरदारपुराबास त0 भादरा।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार भादरा।

प्रतिवादीगण

आज यह वाद मुझ ओ.पी. चन्देलिया उपखण्ड अधिकारी भादरा के समक्ष वकील वादीगण श्री सुरेन्द्र मील व वकील प्रतिवादीगण श्री विरेन्द्र जाखड़ की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादीगण मुताबिक राजीनामा डिकी किया जाता है तथा रोही मौजा चक 9 बीएचडी के खाता सं0 133/137 के मु0न0 59 के किला न0 16,17,25 प्रत्येक की 0.253है0 नहरी मु0न0 60 के किला न0 20/1 की 0.2400 नहरी, किला न0 20/2 की 0.013है0 गै0मु0 रास्ता किला न0 21/1 की 0.240है0 किला न0 21/2 की 0.013है0 गै0मु0 रास्ता की कुल 1.265है0 जिसमें 1.239है0 नहरी एवं 0.026है0 गै0मु0 रास्ता की संयुक्त खातेदारी राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। वाद भूमि में नोरंगलाल गोस्वामी का 1/5 हिस्सा वादी कालुराम का 1/5 हिस्सा वादी मुंशीराम पुरी का 1/10 हिस्सा एवं प्रतिवादीया निर्मला का 1/2 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है में खाता विभाजन अलग–अलग करवाने हेतु निवेदन किया है। अतः वाद वादीगण मुताबिक राजीनामा डीक्री किया जाकर पक्षकारान के हिस्सा अनुसार निम्नानुसार खाता व लगान अलग से कायम किया जाता है–

वादीगण सं0 1 नोरंगलाल गोस्वामी 2/5 हिस्सा, वादीगण सं0 2 कालुराम पुत्र रा[illegible] हिस्सा वादीगण सं0 3 मुंशीराम पुरी 1/5 हिस्सा :– चक 9 बीएचडी के खाता सं0 [illegible]37 मु0न0 59 के किला न0 25 की 0.1265है0 नहरी दक्षिणी तरफ, मु0न0 60 के किला [illegible]0/[illegible] की 0.2400 नहरी, किला न0 20/2 की 0.013है0 गै0मु0 रास्ता किला न0 21/1 की 0.240है0 किला न0 21/2 की 0.013है0 गै0मु0 रास्ता कुल 0.6065है0 नहरी एवं 0.026है0 गै0मु0 रास्ता।

प्रतिवादीया निर्मला पत्नी फुसाराम :– चक 9 बीएचडी के खाता सं0 133/137 के मु0न0 59 के किला न0 16 की 0.253है0 नहरी किला न0 17 की 0.253है0 नहरी किला न0 25 की 0.1265है0 नहरी उतरी तरफ। कुल 0.6325है0 नहरी।

उपरोक्तानुसार पक्षकारान का खाता व लगान अलग से कायम करते हुए राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जाकर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किया जावें। जमाबंदी में दर्ज गै0मु0 खाला रास्ता भूमि को यथावत् पढ़ा जावें। यदि पक्षकारान का हिस्सा किसी बैंक के रहन है तो रहन को सबंधित पक्षकारान के हिस्सा पर स्थानान्तरण करते हुए राजस्व रिकार्ड में उपरोक्तानुसार अमल दरामद किया जावे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना–अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 21-06-24 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

21/06/24

(ओ.पी. चन्देलिया)
R.A.S
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा जिला हनुमानगढ़

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash Chandeliya
Date: 2024.06.24 17:46:29 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner